न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

मुत.(6ए)संख्या 114/21 वर्ष 2021
जीसीएमएस संख्या 2021/305
बउवानी :–1. सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी बौंली–मलारना डूँगर

बनाम

1. श्री रामवतार पुत्र श्री राधेश्याम गर्ग नि0 दहलोद हाल भाडौती (मृतक)
   1/1. शारदा बेवा रामावतार
   1/2. सुनील पुत्र रामावतार
   1/3. अनिल पुत्र रामावतार
   1/4. राकेश पुत्र रामावतार निवासी देहलोद हाल भाडोती तह. मलारना डूँगर
2. जुगाड (बुग्गा) मालिक इंजन नं. डी.आई.1035/1402637 किलोस्कर इंजन जो मौके से फरार हो गया।

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ऐ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955)

उपस्थित :– 1. श्री मुनेश कुमार मीना (प्रवर्तन निरीक्षक) पैरोकार, रसद
2. श्री सत्येन्द्र कुमार गोयल वकील अप्रार्थी

–: निर्णय :– **दिनांक 16.2.2023**

प्रवर्तन अधिकारी बौंली ने दिनांक 3.8.2015 को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के नियम 6 ऐ के तहत इस न्यायालय मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि जिला रसद अधिकारी,पुलिस थाना मलारना डूँगर एवं चौकी प्रभारी भाडौती द्वारा दिनांक 01.08.2015 को राशन का गेंहूँ कालाबाजारी मे अवैध रूप से बैचान करते हुए पकडे जाने की दूरभाष पर दी गयी सूचना के अनुसार रामावतार गर्ग द्वारा किराये पर लिये गये गोदाम पर जुगाड से खाली किये जा रहे भारतीय खाद्य निगम की छापवाले 49 कटटे गेंहूँ को जब्त कर कब्जे राज लिये गये गेंहूँ को राजसात (Confiscate) किये जाने बाबत निवेदन किया गया।

उक्त प्रकरण का न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण संख्या 14/2015 पर दर्ज किया जाकर दिनांक 18.4.2016 को निर्णय कर प्रकरण मे जब्त 49 कटटे गेंहूँ राजसात किये जाने के आदेश के विरूद्व अप्रार्थी द्वारा विशिष्ट न्यायाधीश अजा/अजजा(अ.नि.)सवाईमाधोपुर मे अपील पेश की गयी जिसका माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 23.10.2021 को निस्तारण करते हुए प्रकरण इस न्यायालय को पुनः सुनवायी हेतु प्रतिप्रेषित किया जाने पर न्यायालय हाजा में पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर सुनवायी हेतु अप्रार्थी की तलबी जरिये नोटिस की गयी।

तत्पश्चात् बहस पैरोकार रसद व वकील अप्रार्थीगण सुनी गयी ।

पैरोकार रसद ने प्रवर्तन अधिकारी बौंली की ओर इस न्यायालय में दिनांक 3.8.2015 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बताया कि जिला रसद अधिकारी,पुलिस थाना मलारना डूँगर एवं चौकी प्रभारी भाडौती द्वारा दिनांक 1.8.2015 को राशन का गेंहूँ कालाबाजारी मे अवैध रूप से बैचान करते हुए पकडे जाने की दूरभाष पर दी गयी सूचना के अनुसार भाडोती चौकी पहुँची तथा चौकी प्रभारी श्री भंवर सिंह नरूका,एस.आई. से सम्पर्क कर तहरीर प्राप्त की गयी। तहरीर के अनुसार रामावतार गर्ग द्वारा किराये पर लिये गये गोदाम पर जुगाड से खाली किये जा रहे भारतीय खाद्य निगम की छापवाले 49 कटटे गेंहूँ को चौकी प्रभारी भाडोती को मुखबीर द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार मौके पर पहुँचने पर मजदूर

.....(1).....

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.12.19 11:31:32 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

जो गेंहूँ को जुगाड से गोदाम में खाली कर रहे थे भाग गये। पुलिस द्वारा जुगाड को पुलिस चौकी भाडोती मे लाकर खडा कर लिया तथा गोदाम पर कांस्टेबल की डयूटी लगा दी गयी। मौके पर पुलिस चौकी भाडौती पर खडे जुगाड की तलाशी लेने एवं जांच करने पर 16 कटटे भारतीय खाद्य निगम की छाप वाले मशीन से मुंह सीले हुए एवं 8 कटटे सुआ द्वारा मुंह सीले हुए कुल 24 कटटे पाये गये। यह कथन भी किया कि गोदाम मालिक श्री कमलसिंह मीना पुत्र श्री गणपत लाल मीना, गेंहूँ खरीददार के छोटे भाई श्री गोविन्द प्रसाद पुत्र श्री घनश्याम गर्ग एवं पुलिस चौकी प्रभारी भाडोती की उपस्थिति में गोदाम की तलाशी लेने पर कुल 25 कटटे गेंहूँ के भरे हुए पाये गये जिनमे 23 कटटे भारतीय खाद्य निगम की छाप वाले मशीन से मुंह सीले हुए 2 कटटे सुवे से सूतली द्वारा मुंह सीले हुए कुल 25 कटटे पाये गये। इस प्रकार कुल 49 कटटे गेंहूँ के पाये गये जिनमे 39 कटटे मशीन से मुंह सीले एवं 10 कटटे सुवे सूतली से मुंह सीले हुए पाये गये। उक्त वर्णित गेंहूँ के कटटे भारतीय खाद्य निगम के छाप वाले होने के कारण तथा उनमे 39 कटटे मशीन से मुंह सीले हुए होने के कारण उक्त बारदाने में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्न की सप्लाई होने के कारण पुलिस तहरीर के अनुसार राशन का गेंहूँ पकडने के कारण मौके से गेंहूँ जुगाड से उतारने वाले मजदूरों के भाग जाने व खरीददार व्यापारी श्री रामावतार गर्ग मौके पर उपस्थित नही होने के कारण एवं जॉच कार्य मे सहयोग नही करने के कारण तथा दिनांक 1.8.2015 से 2.8.2015 को सांय 3.00 बजे तक किसी भी व्यक्ति द्वारा मालिकाना हक नही जताने के कारण प्रथम दृष्टया गेंहूँ को सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मानते हुए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत आने के कारण राजस्थान खाद्यान एवं आवश्यक वस्तु वितरण विनियम आदेश 1976 के प्रावधानो का उल्लंघन पाये जाने के कारण बहक जप्त सरकार कर अपने कब्जे में लिया जाकर तुलवाने पर जुगाड मे लदा गेंहूँ मय बारदाना 12.20 क्विंटल तथा जुगाड से गोदाम में उतरवाया गया गेंहूँ मय बारदाना 12.60 क्विंटल कुल मात्रा 24.80 क्विंटल पाया गया। उक्त गेंहूँ श्री हुकुचन्द गर्ग पुत्र श्री घनश्याम लाल गर्ग निवासी श्रीपुरा हाल उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत तारणपुर 1/3 भाग को बुलवाकर सुपुर्दगी मे दिया गया तथा जुगाड बुग्गा को श्री भवंर सिंह नरूका ए.एस.आई. प्रभारी चोकी, भाडोती की सुपुर्दगी मे दिया गया। इस प्रकार श्री गर्ग द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया जाने पर उनके विरूद्व प्रथम सूचना रिपोर्ट 210 दिनांक 2.8. 2015 दर्ज करवायी गयी। ऐसी स्थिति मे प्रवर्तन अधिकारी बौंली द्वारा प्रस्तुत 6(ए) प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्तानुसार जब्त किये गये 24.80 क्विंटल गेंहूँ मय जुगाड को राजसात किये जाने बाबत निवेदन किया गया।

वकील अप्रार्थी ने जवाब बहस में कथन किया गया कि प्रवर्तन निरीक्षक गंगापुर सिटी द्वारा अप्रार्थी के विरूद्व की गई कार्यवाही असत्य एवं निराधार तथ्यों पर बिना किसी ठोस आधारों के प्रार्थना अन्तर्गत धारा 6 ए प्रस्तुत किया जो खारिज योग्य है। क्योकि न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 18.4.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 23/2017 (41/2016) उनवानी रामावतार बनाम सरकार जरिए प्रवर्तन अधिकारी बौंली/मलारना डूँगर में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 23.10.2021 को निर्णय किया पारित करते हुए न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 18.4.2016 को निरस्त करते हुए प्रकरण पुनः सुनवायी हेतु रिमाण्ड किया गया है। यह तर्क भी दिया कि अप्रार्थी के विरूद्ध दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट 210 दिनांक 2.8.2015 मे पुलिस थाना द्वारा दिनांक 7.9.2015 को एफ.आर. लगायी थी जिसको माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 28.9.2016 को स्वीकार की जा चुकी है। यह तर्क भी दिया पैरोकार रसद द्वारा उक्त प्रकरण मे जब्त गेंहूँ को सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मानते हुए जब्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.12.19 11:31:32 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

किया गया है किन्तु आज दिनांक तक यह नही बताया कि उक्त गेहूँ के संबंध में रसद विभाग द्वारा कौनसे डीलर के विरूद्व कार्यवाही की गयी है अर्थात जॉच मे उक्त गेंहूँ किस राशन डीलर का पाया गया है। प्रार्थी के गोदाम से 49 कटटे गेंहूँ को मात्र भारतीय खाद्य निगम की छापवाले कटटो मे होने के कारण गलत फहमी मे जब्त किया गया है जिसकी पुष्टि पुलिस द्वारा लगायी गयी एफ.आर. से हो जाती है। उक्त गेंहूँ मृतक अप्रार्थी द्वारा व्यापार हेतु कृषक हनुमान सिंह से साढे चौबीस क्विंटल गेंहूँ ग्राम दहलोद मे दिनांक 1.8.2015 को खरीदा था जिसकी तुलाई श्री रामकिशन पुत्र कानाराम माली व शम्भू लाल से करवायी जाकर भारतीय खाद्य निगम की छाप वाले खाली कटटे जो कि बिल संख्या 615 दिनांक 31.7.2015 से केशव वारदाना भण्डार अनाज मण्डी लालसोट से खरीद किये गये कटटो मे भरवाये गये थे। यह कथन भी किया प्रार्थी ने दिनांक 29.5.2012 को एस.के एण्ड कम्पनी से टांके लगाने वाली मशीन जरिये बिल संख्या 1522 दिनांक 29.12.12 को 5600/– मे खरीद की थी। यह कथन भी किया कि प्रार्थी कृषि उपज मण्डी समिति सवाईमाधोपुर का लाईसेन्सधारी व्यापारी है तथा दुकान पर से जब्त किया गया गेंहूँ का विधिक मालिक होने के कारण वापस लोटाये जाने बाबत निवेदन कर प्रवर्तन अधिकारी बौंली–मलारना डूँगर द्वारा प्रस्तुत 6ए प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने बाबत निवेदन किया गया।

वकील उभयपक्षों को सुनने के पश्चात् सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचता हूँ कि प्रकरण मे जब्त किये गये 24.80 क्विंटल गेंहूँ के संबंध में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 210 दिनांक 2.8.2015 पर अनुसंधानाधिकारी द्वारा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा चुका है तथा उक्त अंतिम प्रतिवेदन को सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा दिनांक 28.9.2016 को स्वीकार किया जा चुका है। इसलिए प्रकरण में जब्त किये गये गेहूँ के मालिकाना हक के संबंध में नवीन स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसके अतिरिक्त उक्त जब्त गेंहू किसी राशन डीलर का होने अथवा उक्त गेंहूँ के गबन के संबंध में किसी राशन डीलर पर कोई कार्यवाही की गयी हो ऐसा कोई साक्ष्य सबूत पैरोकार रसद द्वारा पेश नही किया है। उक्त गेहूँ भारतीय खाद्य निगम की छापवाले कटटो मे भरा होने के आधार पर उक्त गेंहूँ को सार्वजनिक वितरण प्रणाली का नही माना जा सकता है। प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेजात के अनुसार अप्रार्थी कृषि उपजमण्डी का लाईसेंसधारी व्यापारी है जो किसानो से गेहूँ क्रय करता है उक्त गेंहूँ भी अप्रार्थी द्वारा कृषक हनुमान सिंह से क्रय किया जाना पाया गया है। उक्त तथ्यों के आधार उक्त प्रकरण में जब्त गेहूँ सार्वजनिक वितरण प्रणाली का नही होकर अप्रार्थी का होना साबित होता है जिसको अप्रार्थी की सुपुदर्गी मे दिया जाना उचित प्रतीत होता है। इसलिए प्रवर्तन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत 6 ए प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य पाया जाता है।

उक्त विवेचन के आधार पर प्रवर्तन अधिकारी बौली/मलारना डूँगर द्वारा प्रस्तुत 6 ए प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है एवं प्रकरण में जब्त गेंहूँ अप्रार्थी को लोटाये जाने बाबत जिला रसद अधिकारी को निर्देशित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 16.2.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.12.19 11:31:32 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाईमाधोपुर